

13/03/18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त स्वयं उप0।

प्रकरण अपराध विवरण हेतु नियत है।

अभियुक्त ने निवेदन किया कि वह अपराध स्वीकार करना चाहता है।

चूंकि मामला संक्षिप्त विचारणीय हैं। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारंभ किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 भा0दं0सं0 के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए संहिता की धारा 279 के आरोप में न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं एक हजार रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया। अर्धदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दस दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अमिलेखे संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अमिलेखागार प्रेषित किया जाये।

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त ने अर्धदण्ड की राशि एक हजार रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0...11/22...रसीद क0...74...दी गई। अभियुक्त को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)